



JPD-6/325

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)


क.जेपीडी/मुलेअ(लेकरा)/राजस्व/पत्रा.50(iii)/प्रे.1782 जयपुर, दिनांक:-17.8

आदेश

कतिमय मामलों में यह देखा गया है कि उपभोक्ताओं एवं सरकारी विभागों को समय पर विद्युत बिल वितरण नहीं होने के कारण, समय पर विद्युत बिलों को जमा करावाने में उपभोक्ताओं एवं रेलवे विभाग एवं अन्य विभागों को काफी परेशानी आती है तथा मजबूरन उन्हें या तो विलम्ब शुल्क सहित जमा कराना पड़ता है या समय पर बिल जमा नहीं होने के कारण विद्युत सम्बन्ध विच्छेद होने का डर रहता है। विद्युत बिल प्राप्ति के लिये सहायक अभियन्ता मुख्यालय पर आना पड़ता है तथा अनाश्यक बहुमूल्य समय एवं श्रम के साथ ही आर्थिक हानि एवं मानसिक असंतोष का सामना करना पड़ता है। विद्युत निगम को समय पर पैसा भी प्राप्त नहीं होता है।

उपरोक्त समस्या के निवारणार्थ, निम्न आदेश प्रससरित किये जाते हैं:-

चूँकि अब जब विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वेबसाइट (www.jaipurdiscom.in) पर विद्युत बिल जारी होने के पश्चात अपलोड कर दिया जाता है, अतः उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों की डूप्लीकेट प्रति इन्टरनेट से प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में बिल का भुगतान कर सकता है। उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि इन्टरनेट से प्राप्त वैध बिल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता(परि एवं संधा) द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।


(के.एल. गुप्ता)

मुख्य लेखाधिकारी(ए.टी.आर.)

प्रतिलिपी निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही सुनिश्चित करने हेतु:-

1. मुख्य अभियन्ता (परि एवं संधा) जयपुर डिरकाम, जयपुर।
 2. अधीक्षण अभियन्ता() जयपुर डिरकाम, ।
 3. अधिशाषी अभियन्ता() जयपुर डिरकाम, को
- सहायक अभियन्ताओं को वितरण हेतु चार अतिरिक्त प्रतियो सहीत।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी() जयपुर डिरकाम,


मुख्य लेखाधिकारी(ए.टी.आर.)